6054

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 821276

...Kumar Jha
ADVOCATE
Teh. Sadar, Agra

For Ekta Builders & Developers
Proprietor

Nilesh K...
A...
Teh. Sadar, Agra

किस्म दस्तावेज-	बैनामा।
1- भूमि का प्रकार-	कृषि भूमि।
2- मौजा/परगना-	मौजा बाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा।
3- सम्पत्ति का विवरण-	खाता संख्या 428 के खसरा संख्या 1516मि. का 1/2 भाग।
4- विक्रीत आराजी का क्षेत्रफल-	0.2210 हे. का 1/2 भाग यानी कि 0.1105 हे.।
5- प्रतिफल की धनराशि-	8,00,000/-रुपया।

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers
Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 821275

6- सरकारी मालियत-	22,10,000/-रूपया।
7- जमीन की सर्किल रेट-	2,00,00,000/-रूपया प्रति हेक्टेयर।
8- स्टाम्प-	1,55,000/-रूपया।

विक्रीत आराजी के अन्तरण से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है विक्रीत आराजी का बैनामा पुरूष के नाम से रजिस्टरी होने पर शासन के आदेश संख्या 2756 दिनांक 30-6-2008के अनुसार स्टाम्प 7 प्रतिशत देय है जमीन की सर्किल रेट पृष्ठसंख्या 19 क्रम संख्या 4 कालम नम्बर 4 पर दर्ज है विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से अन्दर है।

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 821274

16 DEC 2010

हम कि रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थी लाल निवासी बांईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा ---------- विक्रेता प्रथम पक्ष।

एवमं

एकता बिल्डर एण्ड डवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर श्री मुरारी प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जगन प्रसाद अग्रवाल निवासी 42/2/बी-12 हरी वर्ल्ड टावर संजय प्लेस आगरा ---------- क्रेता द्वितीयपक्ष।

जो कि एक किता आराजी वाके मौजा बाईपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा की खाता संख्या 428 के खसरा संख्या 1516मि. रकवा 0. 2210 हे. लगानी 60ब के अनुसार फसली सन 1415-1420 मुताविक खतौनी दिनांक 18-12-2010 के अनुसार कुल आराजी के प्रथम पक्ष एक

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 821273

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
16 DEC 2010
कोषागार, आगरा

मात्र तनहा संक्रमणीय भूमिधर मालिक व स्वामी चले आते है जिसमें से प्रथम पक्ष 1/2 भाग आराजी रकबई 0.1105 हे. आराजी को विक्रय कर रहे है जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के दीगर कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा नहीं है जो आज तक हर प्रकार के कर्जे व बार व भार व बन्धक व ऋण व दान व जमानत व नालिश व नीलाम व हर प्रकार की समस्त देनदारी व जिम्मेदारी वगैरा से कतई पाक व साफ है चूँकि इस समय रुपयों की जरूरत है इसलिये उक्त आराजी रकबई 0.1105 हे. का विक्रय करना मंजूर है।

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 821272

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
16 DEC 2010
कोषागार, आगरा

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिनावहकाये व सिखाये व बिनादवाव किसी नाजायज के मय समस्त अधिकार व आधिपत्व व स्वामित्व सहित उक्त आराजी रकवई 0.1105 हे. कुल को विल एवज मुवलिग 8,00,000/-आठ लाख रुपया कि आधे जिसके मुवलिग 4,00,000/-चार लाख रुपया होते है बदस्त- एकता बिल्डर एण्ड डवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर मुरारी प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जगन प्रसाद अग्रवाल उपरोक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को बैय कतई की और बेच दी तथा कीमत का कुल

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 938990

[illegible]
कोषाधिकारी
02 DEC 2010
कोषागार, आगरा

रुपया प्रथम पक्ष ने खरीदार द्वितीयपक्ष से चुकता नगद गवाहों के समक्ष वसूल पा लिये है जिसका प्रथम पक्ष पानास्वीकार करते है अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा है ना आयंदा होगा।

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 938991

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
0 2 DEC 2010
कोषागार, आगरा

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत आराजी के वाकई खाली पर प्रथम पक्ष ने खरीदार का करा दिया और खरीदार को उक्त आराजी का मालिक व स्वामी बना दिया है आज के बाद खरीदार को अधिकार है कि वह उक्त आराजी में हस्ब मर्जी अपने चाहे जैसी कास्त वगैरा करें उसका लगान अदा करें जरिये बैनामा

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 938992

इसलाक खाँ
कोषाधिकारी
02 DEC 2010

हाजा के अपने नाम का दाखिल खारिज करावे वक्त जरूरत रहन वैय हिवे विक्रय आदि जो चाहे सो करें अब कोई हक व हिस्सा व कब्जा व दखल बाकी नहीं रहा है नाआयंदा होगा उक्त आराजी की जमीन नजूल वराजकीय आस्थान की सम्पत्ति नहीं है जिसको राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित नहीं किया गया है ना ही कोई मुआवजा लिया गयाहै।

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 943247

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
13 DEC 2010
कोषागार, आगरा

अगर भविष्य में व वजह दावेदारी किसी हकदार व हिस्सेदार की से या नुक्स टाईटिल विक्रेता प्रथम पक्ष की से आराजी मुबैया मजकूर का कोई जुज या कुल कब्जा व दखल खरीदार से निकल जावे या किसी को कोई रकम बार किफालत वगैरा की किसी को अदा या खर्च करनी पड़े या बैनामा हाजा में किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी पायी जावे

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

रवीन्द्र कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 943248

अखलाक खाँ
कोषाधिकारी
13 DEC 2010
कोषागार, आगरा

तो उस कुल की जवाब देही व जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी खरीदार जिस प्रकार चाहे वसूल करले एतराज न होगा।

विक्रीत आराजी में तथा उसके आस पास 200मीटर की परिधि में खेती हो रही है और कृषि प्रयोजनार्थ ही विक्रय की गयी है विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है जिसमें कुंआ बोरिंग पेड़ पौधा आबादी निर्माण आदि नहीं है। जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 आज तक घोषित नहीं हुयी है।

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

कार्यालय उपनिबन्धक आगरा

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन में विक्रेता / क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स

1– विक्रेता का नाम व पता – रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री नानीलाल
170 नाईपुरा आगरा।

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

2. क्रेता का नाम व पता – एकता बिल्डर एण्ड डेवलपर्स द्वारा
प्रोपराइटर मुरारी प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व० पदम
प्रसाद अग्रवाल निवासी [illegible]

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
बाये हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

	अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यिका	अनामिका	कनिष्ठा
दहिने हाथ के अंगुष्ठ चिन्ह					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 943249

13 DEC 2010

कोषागार, आगरा

-11-

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । तहरीर तारीख 18-12-2010ई. व मसौदा नितिश कुमार झा एडवोकेट तहसील आगरा दस्तावेज हाजा पक्षकारान के कहे अनुसार तहरीर व टाईप की गयी है।

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

रवीन्द्र कुमार

गवाह-

गवाह-

Mahesh Chand Adv.

Nitish Kumar Jha
ADVOCATE

स्टाम्प विक्रय की तिथि 18-12-10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 5000

अरुण कौशल
लाइसैंस नं.- 37
लाइसैंस की अवधि 31 मार्च 2011
सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक 18/12/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7182

पृष्ठ सं. 1 से 26 पर क्रमांक 6054

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
18/12/2010

एक किता आराजी खाता सं 0628 कि. खसरा सं 1516 वाके
मौजा काईपुर मुस्तकिल तह० व जिला आगरा

विक्रेता :- रविन्द्र कुमार

क्रेता :- एकता बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा प्रोपराइटर
मुरारी प्रसाद अग्रवाल

रकबा :- 0.2210 है० का 1/2 भाग यानि कि 0.1105 है० का विक्रय
लाल रंग में दर्शाया गया है।

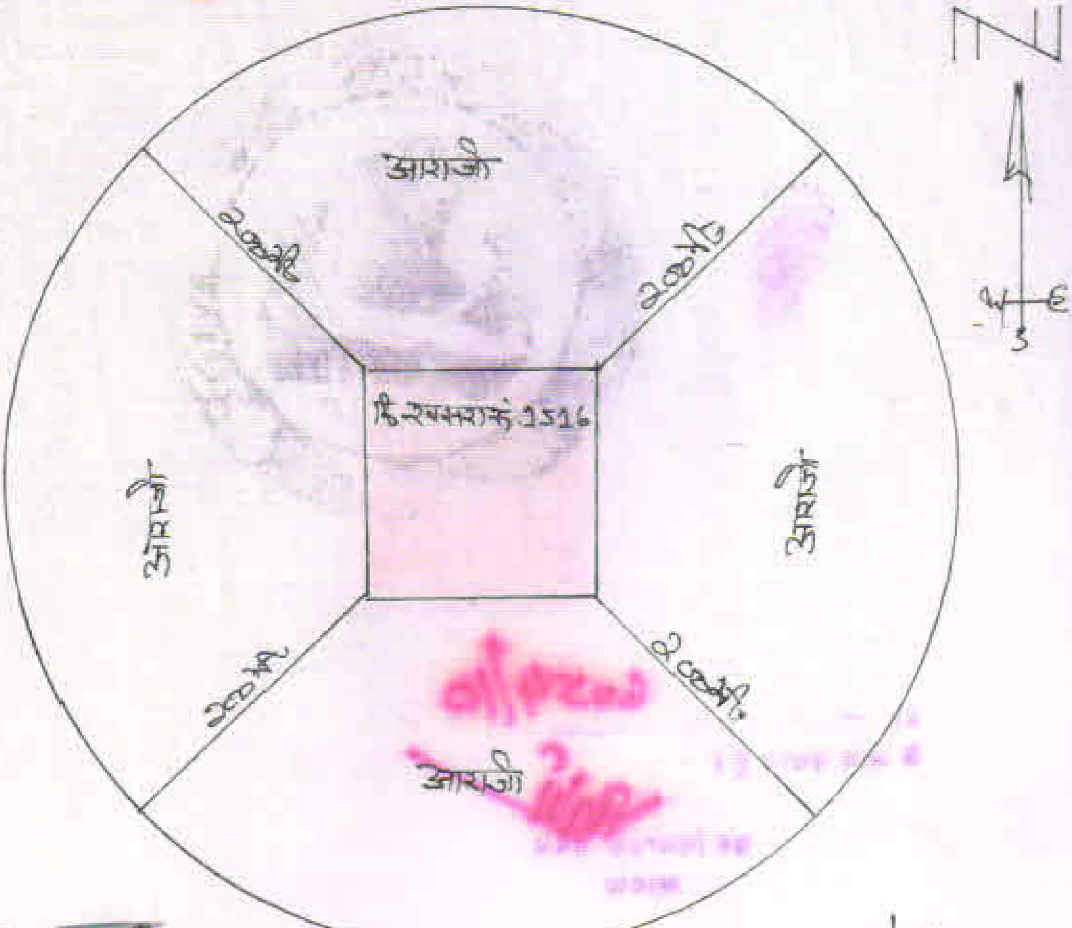

रवीन्द्र कुमार

For Ekta Builders & Developers

Proprietor

A. KUMAR